न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 157 / 2020 दायर दिनाँक 06.05.2022

वादी		प्रतिवादीगण
1. शिवराज सिंह पुत्र स्व0 मोहन सिंह उम्र 54 वर्ष जाति राजपूत निवासी लाडनू रोड़, डीडवाना, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. नगर पालिका मण्डल डीडवाना। 2. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:—

1. श्री सुनिल कुमार मिश्रा वकील वादी।
2. श्री चैनाराम थोरी वकील प्रतिवादी सं0 01।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 23.06.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि मौजा डीडवाना पटवार हल्का डीडवाना भू—अभिलेख नि0 डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में राजस्व भूमि जिसके खसरा सं0 2775 रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा बारानी 1 ग्राम डीडवाना, पटवार हल्का डीडवाना भू—अभिलेख नि0 डीडवाना बने है। खसरा सं0 2775 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा मेहकमा कस्टोडियम में चला गया तथा उसके बाद उक्त खसरा नम्बर की भूमि नगरपालिका डीडवाना के राजस्व रेकर्ड में अंकित हो गयी। नकल जमाबन्दी व खसरा मिलान पेश है।

यह है कि राजस्व काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व से ही उपरोक्त वर्णित भूमि में जिसके वर्तमान खसरा सं0 2775 रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा बारानी 1 पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा काश्त स्व0 मोहन सिंह के कब्जा काश्त की रही है। उसके स्वर्गवास के पश्चात अब उक्त खसरा सं0 2775 रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा भूमि पर स्व0 मोहन सिंह निवासी डीडवाना का सम्पूर्ण भूमि पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा काश्त रहा है। उसके बाद उक्त सम्पूर्ण 03 बीघा 08 बिस्वा भूमि पर वादी का कब्जा काश्त निर्बाध रूप से बेराक—टोक चला आ रहा है।

यह है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रभाव सम्वत् 2012 में हुआ। उक्त सुसंगत समय से पूर्व भी उक्त भूमि पर वादी से पूर्व स्व0 मोहन सिंह के कब्जा काश्त की ही रही है। राजस्व रेकर्ड के अनुसार भी उक्त कब्जा काश्त वादी का है।

यह है कि उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा सं0 2775 रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा बारानी 1 पर वादी से पूर्व स्व0 मोहन सिंह का कब्जा काश्त रहा है। आज भी लगातार बेराक—टोक वादी का ही कब्जा काश्त है तथा वर्तमान में वास्तविक एवं भौतिक कब्जा काश्त उपरोक्त वर्णित खसरा सं0 2775 रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा बारानी 1 पर वादी का है। जिस कारण से वादी राजस्व रेकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने हेतु यह वाद पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील श्री चैनाराम थोरी ने प्रतिवादी सं0 01 की ओर से वकालतनामा पेश [illegible] प्रतिवादी सं0 02 को जरिये समन तलब किया। बावजूद तामिल के [illegible] उपस्थित [illegible] इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादीनी डिक्री सादिर किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:36:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

—:आदेश :—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा डीडवाना पटवार हल्का डीडवाना भू–अभिलेख नि0 डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में राजस्व भूमि जिसके खसरा सं0 2775 रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा बारानी 1 भूमि में वर्तमान खातेदारी के स्थान पर वादी शिवराज सिंह के नाम खातेदारी घोषित की जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **23.06.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:36:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः **157/2020** दायर दिनाँक **06.05.2022**

वादी		प्रतिवादीगण
1. शिवराज सिंह पुत्र स्व0 मोहन सिंह उम्र 54 वर्ष जाति राजपूत निवासी लाडनू रोड़, डीडवाना, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	**बनाम्**	1. नगर पालिका मण्डल डीडवाना। 2. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक **23.06.2022**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री सुनिल कुमार मिश्रा वकील वादी व श्री चैनाराम थोरी वकील प्रतिवादी सं0 01 की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा डीडवाना पटवार हल्का डीडवाना भू–अभिलेख नि0 डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में राजस्व भूमि जिसके खसरा सं0 2775 रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा बारानी 1 भूमि में वर्तमान खातेदारी के स्थान पर वादी शिवराज सिंह के नाम खातेदारी घोषित की जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **23.06.2022** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा जो के फरीकेन ने बजरिये डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:36:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner